01.12.2022	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली में पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं बहस के दौरान उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। उपस्थित अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं केवियटकर्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हस्तगत प्रकरण वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध में खातेदारी घोषित कराने का वाद प्रस्तुत किया, साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। वादग्रस्त भूमि में अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अपीलाण्ट के पिता ने अपने जीवनकाल में ही अपीलाण्ट को गोद लिया था। अपीलाण्ट की माता ने रेस्पोडेण्ट की सहमति से रेकॉर्डेड गोदनामें से अपीलाण्ट को गोद लिया था। वादग्रस्त भूमि का अपीलाण्ट एकमात्र खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला अपीलाण्ट के पक्ष में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

मेड आउट है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र का 30 दिन की अवधि में निस्तारण नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की आड में वादग्रस्त आराजी के उपयोग–उपभोग करने में वंचित हो रहे है। साथ ही अपने हिस्से की आराजी को उपजाउ व काश्त करने हेतु ऋण प्राप्त करना सम्भव नहीं है। जिससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति हो रही है। अत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे। एवं अप्रार्थीगण को अपीलांट के कब्जे काश्त की आराजी में दखलदांजी करने से रोके जाने का आदेश फरमावे।

कैवियटकर्ता अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो का प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हस्तगत प्रकरण वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध में खातेदारी घोषित कराने का वाद प्रस्तुत किया, साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। रेस्पोडेण्ट अपने माता पिता फौत के होने के पश्चात हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम में विहित प्रथम अनुसूचि के वारीश है। उसके बावजूद अपीलाण्ट ने राजस्व विभाग से साठ–गाठ कर अकेले का नाम दर्ज करवा कर रेस्पोडेण्ट को अपने हक हकुको की वादगस्त भूमि से वंचित कर दिया। हस्तगत प्रकरण में अपूर्णनीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन के बिन्दु अपीलांट के पक्ष में नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश में किसी प्रकार का फेरबदल किया जाता है तो इससे मौके पर विवाद होने की आशंका है, जिससे इंकार नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 19.05.2022 पारित कर वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति को यथावत बनाये रखने के आदेश जारी किए। विधि अनुसार जहां एक पक्षीय रूप से अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जाता है, वहां उस प्रकरण का निस्तारण 30 दिवस के भीतर किये जाने के प्रावधान है। आदेश 39 नियम 3(क) सी. पी. सी में प्रावधित किया है कि " 3-A Court to disposed application for injunction within thirty days-- Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make an endeavour to the finally dispose of the application within thirty days from the date on which injuntion was granted; and where it is unable so to do, it shall record the reason its reasons for such inability" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जहॉ अस्थाई निषेधाज्ञा विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना जारी की गई हो तो न्यायालय द्वारा 30 दिन के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणो को अभिलेखित करना चाहिए। उक्त नियम हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है।

चूंकि वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेण्ट की पुश्तैनी भूमि है। जिसके संबध में खातेदारी घोषणा का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अगर इस दौरान वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति में किसी प्रकार का फेरबदल होता है तो इससे निश्चय ही वाद बाहुल्यता बढने की पूर्णतया आंशका है। हस्तगत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार सहायक कलेक्टर सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 15/2021 बउनवान मांगी बनाम हरीराम में पारित आदेश दिनांक 19.05.2022 के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 3(क) की पालना करते हुए उभयपक्षों को सुनकर 30 दिवस के भीतर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर आवश्यक कार्यवाही हेतु नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली